रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33002/99 भारत सरकार REGISTERED No. D.L.-33002/99
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 77] दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 27, 2016/वैशाख 7, 1938 [रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 22]
No. 77] DELHI, WEDNESDAY, APRIL 27, 2016/VAISAKHA 7, 1938 [N.C.T.D. No. 22]

भाग—IV
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पर्यावरण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

फा.स. एफ.10(13)/पर्या0/2015/2878–2900.—पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) के संदर्भ में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 09.10.2015 और 16.12.2015 के आदेशों का अनुपालन करते हुए, पर्यावरण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/6167–6189 दिनाँक 20.10 2015, अधिसूचना संख्या एफ10(13)/पर्या/2015/6345–6372 दिनाँक 30.10.2015, अधिसूचना संख्या एफ 10(13) /पर्या/ 2015/7400–7422 दिनाँक 23.12.2015, संशोधित अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/98–130 दिनाँक 05.01.2016 एवं एफ 10(13)/पर्या/2015/436–458 दिनाँक 21.01.2016, अधिसूचना संख्या एफ.10(13)/पर्या/2015/1049–1072 दिनाँक 15.02.2016 और अधिसूचना संख्या एफ 10 (13) /पर्या /2015/1610–1632 दिनाँक 04.03.2016 के अनुक्रम में तथा पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण की दिनाँक 10.03.2016 की बैठक के कार्यवृत्त, के निर्देशों के अनुसरण में निम्नलिखित निर्णय अधिसूचित किए जाते है:—

1. घटना के तुरन्त बाद पुलिस नियंत्रण कक्ष संख्या–100 पर टोल एकत्रकर्ता उल्लंघन करने वाले वाहन के गाड़ी संख्या को बताएगा, जो पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार (ईसीसी) लगाने वाले अधिसूचना का अनुपालन नहीं करता है।
2. संबंधित थाने में टोल एकत्रकर्ता एक प्राथमिकि दर्ज कराएगा और पुलिस जल्द से जल्द उस पर उचित कार्यवाही करेगी।
3. यदि कोई वाहन ई.सी.सी. के बिना भुगतान/गैर गंतव्य दिल्ली के/2006 से पूर्व के पंजीकृत पाया जाता है तो, उस समय, लागू पर्यावरण क्षतिपूर्ति प्रभार का दस गुना जुर्माना लगाया जाएगा। तीन बार से अधिक अनाधिकृत प्रवेश करने की अवस्था में वाहन को न्यूनतम एक माह की अवधि के लिए जब्त कर लिया जाएगा और वाहन का पंजीकरण प्रमाण पत्र निलंबित कर दिया जाएगा।

कुलानंद जोशी, विशेष सचिव (पर्यावरण)

DEPARTMENT OF ENVIRONMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No.F.10(13)/Env/2015/2878-2900.—In continuation of notification No. F10 (13)/Env/2015/6167-6189 dated 20.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/6345-6372 dated 30.10.2015, notification no. F10 (13)/Env/2015/7400-7422 dated 23.12.2015, amendment notification no. F10 (13)/Env/2015/98-130 dated 05.01.2016, notification no. F10 (13)/Env/2015/436-458 dated 21.01.2016, notification no. F10 (13)/ Env/2015/1049-1072 dated 15.02.2016 and notification no. F10 (13)/ Env/2015/1610-1632 dated 04.03.2016 issued by Department of Environment, Govt. of NCT of Delhi in compliance of the Hon'ble Supreme Court's orders dated 09.10.2015 and 16.12.2015 regarding Environment Compensation Charge (ECC) and in pursuance of directions of the Environment Pollution (Prevention and Control) Authority (EPCA) as per minutes of meeting held on 10.03.2016 the following decisions are hereby notified :

1. The toll collector shall flash the vehicle number of the violator, who do not comply with notifications on levy of Environment Compensation Charge, on Police Control Room No. 100 immediately after the incident.
2. The toll collector shall file a FIR at the concerned police station and the police shall take appropriate action at the earliest.
3. If a vehicle is caught either without paying ECC/ non-destined to Delhi/ pre-2006 registered, then a fine of 10 times of the applicable ECC shall be imposed. In case the offence of unauthorized entry is committed more than three times, the vehicle shall be impounded for a minimum period of 01 month and the Registration Certificate of the vehicle will be suspended.

KULANAND JOSHI, Spl. Secy. (Environment)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं0फा0 6/59/2002/डीआईएसएमएच/प्रशा0/1356—गृह मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 24.9.1968 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 24/78/68–डीएच (एस) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दिनांक 31 दिसम्बर, 2012 को अधिसूचित सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) नियमावली, 2012 के दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, संघ लोक सेवा आयोग के साथ पूर्व परामर्श के पश्चात् स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के अन्तर्गत आयुष निदेशालय में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य सेवाएं नियमावली बनाते हैं :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** .— (1) इन नियमों को सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) दिल्ली स्वास्थ्य सेवा नियमावली, 2016 कहा जाए।।

(2) सरकारी गजट में इनके प्रकाशन की तिथि से यह लागू होंगे।

2. **परिभाषाएं** :— जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, तब तक इन नियमों में —

(क) "आयोग" का अर्थ संघ लोक सेवा आयोग से हैं;

(ख) "नियंत्रक प्राधिकरण" का अर्थ स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से है;

(ग) "विभागीय पदोन्नति समिति" का अर्थ सेवा के 'क' वर्ग के पदों की पदोन्नति या स्थायीकरण के मामलों पर विचार हेतु चतुर्थ अनुसूची में विनिर्दिष्ट 'क' वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति से है;

(घ) "ड्यूटी पद" का अर्थ किसी उस पद से है जो द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट चाहे यह स्थाई या अस्थाई हो;

(ङ) "सरकार" का अर्थ संविधान के अनुच्छेद 239 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति एवं अनुच्छेद 239 कक के अन्तर्गत यथा पदनामित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल से है;

(च) "ग्रेड" का अर्थ प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट ग्रेडों में से किसी एक ग्रेड से है;

(छ) "अनुसूची" का अर्थ इन नियमों के साथ संलग्न किसी अनुसूची से है;

(ज) "सेवा" का अर्थ दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा से है।

3. **सेवा का गठन** .– सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी इंडियन सिस्टम ऑफ मैडीसन (ग्रुप 'क')की दिल्ली स्वास्थ्य सेवा के रूप में सेवा का गठन किया जाएगा जिसमें इन नियमों की नियम 7 के अंतर्गत नियुक्त व्यक्ति।

4. **सेवा की संरचना** :–
सेवा में सम्मिलित सभी ड्यूटी पद सामान्य केन्द्रीय सिविल सेवा "क" वर्ग, राजपत्रित, अलिपिकीय और ग्रेड, वेतनमान, प्रैक्टिस बंदी भत्ता एवं इससे सम्बद्ध अन्य विषय प्रथम अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5. **सेवा का प्राधिकृत संख्या बल** :–
(1) इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि को सेवा के विभिन्न ग्रेडों में सम्मिलित ड्यूटी पदों की प्राधिकृत संख्या बल द्वितीय अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
(2) इन नियमों के प्रारंभ होने के उपरान्त विभिन्न ग्रेडों मे ड्यूटी पदो का प्राधिकृत स्थायी संख्या बल सरकार द्वारा समय–समय पर यथानिर्धारित किया जाएगा।
(3) सरकार समय–समय पर विभिन्न ग्रेड़ों के ड्यूटी पदों की संख्या बल में यथावश्क अस्थाई परिवर्धन या कटौती कर सकती है।
(4) सरकार, आयोग से परामर्श करके द्वितीय अनुसूची में सम्मिलित पदों के अतिरिक्त किसी अन्य पद को सेवा में सम्मिलित या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से हटा सकती है।
(5) सरकार, आयोग से परामर्श करके उपनियम (4) के अन्तर्गत सेवा में सम्मिलित पद वाले किसी अधिकारी को किसी अस्थाई पद या किसी स्थाई पद में सेवा के यथोचित उपयुक्त ग्रेड में नियुक्त कर सकती है और समकक्ष ग्रेड में निरन्तर नियमित सेवा को ध्यान में रखने के उपरान्त ग्रेड मे उसका वरिष्ठताक्रम निर्धारित कर सकती है।
(6) वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के कुल पदों के पांच प्रतिशत पद "छुट्टी आरक्षित" के रूप में सेवा में सम्मिलित किए जाएंगे।

6. **सेवा के सदस्य** :– (1) निम्नलिखित व्यक्ति सेवा के सदस्य होंगे, अर्थात् :–
(क) नियम 5 के उपनियम (5) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति;
(ख) नियम 7 के अन्तर्गत ड्यूटी पदों पर नियुक्त व्यक्ति।
(2) उपनियम (1) के खंड (ख) के अन्तर्गत नियुक्त व्यक्ति को ऐसी नियुक्ति होने पर अनुसूची–2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य मान लिया जाएगा।

(3) उप–नियम (1) के खंड (ग) के अन्तर्गत नियुक्त कोई व्यक्ति ऐसी नियुक्ति की तिथि से अनुसूची–2 में उस पर लागू उपयुक्त ग्रेड में सेवा का सदस्य होगा।

7. **सेवा का भवि य में अनुरक्षण** .–
(1) अनूसूची–II मे संदर्भित किन्ही ग्रेडों में से किसी ग्रेड की रिक्तियां इन नियमों के अन्तर्गत उपबंधित किये जाने के बाद इसमें उल्लिखित पद्धति से भरी जाएंगी।
(2) सम्बद्ध उप संवर्गो के पदों पर नियुक्ति या पदोन्नति के लिए आसन्न निम्न ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा सहित भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन का क्षेत्र अनुसूची–III में यथाविनिर्दिष्ट होगी/होगा।
(3)(क) विभागीय पदोन्नतियां संवर्ग के अधिकारियों तक स्थायी की जायेगी।
(ख) उच्चतर पदों पर विभागीय पदोन्नतियां अनूसूची–IV यथागठित विभागीय पदोन्नति समिति की संस्तुतियों के आधार पर आसन्न निम्न ग्रेड में सेवा के अधिकारियों में से चयन के आधार पर की जाएगी।
(4) यदि सेवा के किसी पद पर नियुक्त कोई अधिकारी उच्च पद में नियुक्ति के लिये मान लिया जाता है, तो ग्रेड में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्तियों पर भी विचार किया जाएगा, बशर्ते वे अपेक्षित योग्यता/पात्रता सर्विस पूरे करते हों और योग्यता/पात्रता सर्विस या दो वर्ष इनमें से जो कम हो का आधे से ज्यादा पूरा करता हो और अपने कनिष्ठ के साथ अगले उच्च ग्रेड में पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने ऐसी योगयता/पात्रता सेवा पहले से पूरी की हो।
(5)(क) गैर चयन आधार (वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता) पर सेवारत किसी अधिकारी की नियुक्ति करने को छोड़कर सेवा के अनुरक्षण के लिये अधिकारियों का चयन आयोग के परामर्श से किया जाएगा और जब आवश्यक हो तब अनुसूची–IV में यथाविनिर्दिष्ट विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर किया जाएगा।
(ख) (क) सीधी भर्ती द्वारा सेवा के विभिन्न ड्यूटी पदों की नियुक्ति के लिये न्यूनतम शैक्षिक और अन्य योग्यताएं, अनुभव तथा आयु सीमा अनूसूची–V में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
(ख) उक्त वर्णित ग्रेडों (प्रविष्टि ग्रेडों से भिन्न) में पदोन्नति रिक्तियों से लिंक नहीं होगा।

(6) **कार्य क्रियात्मक प्रयोजनों के लिये :–**

(क) कोई वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी जब किसी औषधालय/अस्पताल में या भारतीय चिकित्सा पद्धति तथा होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के रूप में या सहायक निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा।

(ख) कोई मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जब किसी औषधालय/अस्पताल में या इंडियन सिस्टम ऑफ मैडिसिन एण्ड होम्योपैथी निदेशालय में तैनात किया जाए तब मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में या उप–निदेशक के रूप में, जैसी भी स्थिति होगी, पदनामित किया जाएगा।

(ग) 10,000–15,200/–रुपये + प्रैक्टिस बन्दी भत्ता (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100/–रुपये+ग्रेड वेतन 6600/–रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बन्दी भत्ता के वेतनमान पूर्व में वर्तमान सहायक निदेशक और 12,000–16,500/–_ (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100/–रुपये ग्रेड वेतन 7600/–रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता के वेतनमान के उप–निदेशक को क्रमशः 10,000–15,200/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100/–रुपये+ग्रेड वेतन 6600/–रुपये (संशोधित)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता और 12,000–16,500/रुपये (संशोधन पूर्व)/15,600–39,100/–रुपये+ग्रेड वेतन 7600/–रुपये (संशोधित) + प्रैक्टिस बंदी भत्ता वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर को वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी कैडर में सम्मिलित माना जायेगा और 12,000–16,500/–रुपये (संशोधन पूर्व)/ 15,600–39,100/–रुपये+7600/–रुपये के ग्रेड वेतन+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) में मुख्य चिकित्सा अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिये विचार हेतु पात्रता के लिए सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सहायक निदेशक की सहायक निदेशक के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा के पूर्ण होने पर सम्मिलित किया जाएगा। इस प्रकार मुख्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी के स्तर पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित उप–निदेशक, ग्रेड में चार वर्ष की नियमित सर्विस के पूरा होने पर वेतनमान 14,300–18,300/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/वेतन समूह–IV 37,400–67,000/–रुपये +ग्रेड पे 8700/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कार्य क्रियात्मक चयन ग्रेड) के ग्रेड में नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

(घ) वेतनमान 14,300–18,300/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/वेतन समूह–IV 37,400–67,000/–रुपये +ग्रेड पे 8700/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) के वेतनमान में मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर कार्य क्रियात्मक चयन ग्रेड) द्वारा संशोधन पूर्व वेतनमान 14,300–18,300/–या बीस साल की नियमित सर्विस के दौरान वेतनमान 14,300–18,300/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधन पूर्व)/ वेतन समूह–IV, 37,400–67,000/–रुपये +ग्रेड पे 10,000/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता (संशोधित) में वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड में पदोन्नत।

8. **वरिष्ठता क्रम** :–(क) नियम 6 के अन्तर्गत सेवा के प्रारंभिक गठन के समय ग्रेड में नियुक्त सेवा के सदस्यों का वरिष्ठता क्रम इन नियमों के प्रारंभ होने की तिथि पर प्राप्त होगी;

बशर्ते कि यदि ऐसे किसी सदस्य की वरिष्ठताक्रम का उक्त तिथि को विशेष रूप से निर्धारण नहीं किया गया था, तो उस सदस्य की वरिष्ठताक्रम को इस नियमावली के प्रारंभ होने से पूर्व सेवा के सदस्यों पर लागू वरिष्ठताक्रम के सुनिश्चयन संबंधी नियमों के आधार पर निर्धारण किया जायेगा।

(ख) नियम 6 के अधीन नियुक्ति के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती अधिकारियों की वरिष्ठताक्रम केन्द्रीय सरकार द्वारा इस विषय में समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

(ग) नियम 5 के उप–नियम (5) के अनुसार सेवा में भर्ती व्यक्तियों की वरिष्ठताक्रम उसमें उपबंधित रूप से निश्चित किया जायेगा।

(घ) ऐसे मामले जो उपरोक्त प्रावधानों द्वारा कवर नहीं है, की वरिष्ठताक्रम का नियतन उपलब नियमों के अनुरूप होगा।

9. **परिवीक्षा :–**

(1) सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त प्रत्येक अधिकारी एक वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर होगा।

उपबंध किया जाता है कि नियंत्रक अधिकारी सरकार द्वारा समय–समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि को बढ़ा सकता है।

यह भी उपबंध है कि परिवीक्षा अवधि को बढ़ाने संबंधी निर्णय पिछली परिवीक्षा अवधि की समाप्ति से सामान्यतः आठ सप्ताह के भीतर लिया जायेगा तथा इसकी सूचना उक्त अवधि में संबंधित अधिकारी को परिवीक्षा अवधि बढ़ाए जाने का लिखित कारण बताते हुए दी जाएगी।

(2) परिवीक्षा अवधि या बढ़ोतरी अवधि के पूरा होने पर यदि अधिकारी को उपयुक्त माना जाता है, तो उस पद पर स्थायी कर दिया जायेगा, यदि उसे पहले प्रवेश ग्रेड में स्थायी नहीं किया गया हो।

(3) यदि परिवीक्षा अवधि के दौरान या मामले के अनुसार कोई विस्तार करना है तो सरकार के पास विकल्प है कि यदि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है तो सरकार मामले के अनुसार अधिकारी को सर्विस में उसकी नियुक्ति से पूर्व के पद पर डिस्चार्ज या रिवर्ट कर सकती है।

(4) परिवीक्षा या इसके किसी विस्तार के दौरान अभ्यार्थी को सरकार द्वारा आयोजित ऐसे पाठ्यक्रम तथा अनुदेशों से होकर गुजरना पड़ता है और ऐसी परीक्षाएं एवं परीक्षण पास करनी पड़ती हैं जो परिवीक्षा के संतोषजनक ढंग से समापन के लिए सरकार उसे शर्त मानती है।

(5) परिवीक्षा संबंधी अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य समय–समय पर इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी अनुदेशों से नियंत्रित होंगे।

10. **सेवा में नियुक्ति**.– सेवा में सभी नियुक्तियां नियंत्रण अधिकारी द्वारा की जाएंगी।

11. **सेवा के लिए दायित्व तथा सेवा की अन्य शर्तें** .– (1) सेवा के लिए नियुक्त अधिकारी को दिल्ली में कहीं भी सर्विस करनी पड़ सकती है।

(2) निजी प्रैक्टिस मना है—

(i) सेवा के लिए नियुक्त व्यक्तियों को किसी भी परामर्श तथा प्रयोगशाला प्रैक्टिस सहित किसी भी प्रकार की निजी प्रैक्टिस की अनुमति नहीं होगी।

(ii) ऐसे व्यक्तियों अनुसूची–1 में विनिर्दिष्ट दर पर नॉन– प्रैक्टिसिंग भत्ता के पात्र होंगे।

(3) ऐसे मुद्दे जो सेवा करने वाले सदस्यों की सेवा शर्तें जिनका इन नियमों में उल्लेख नहीं किया गया है को यथावश्यक परिवर्तन सहित उपलब्ध कराया जाएगा और यदि सेवा के संबंध में सरकार द्वारा यदि कोई विशेष आदेश जारी किए जाते हैं तो सामान्य में केन्द्रीय सिविल सेवा के अधिकारियों के समान लागू होंगे।

12. **अयोग्यता** .– ऐसा कोई भी व्यक्ति,–

(क) जो किसी जीवित पति/पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/होगी।

शर्त यह है कि यदि सरकार इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं, तो वह किसी भी ऐसे प्रत्याशी को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

13. **शिथिल करने की शक्ति** .–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह आयोग से परामर्श करके कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के किसी भी उपबंध में से किसी को भी शिथिल कर सकती है।

14. **बचाव** .– इन नियमों की किसी भी बात का केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों और भूतपूर्व सैनिक, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण, अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. **व्याख्या**:– यदि इस नियमावली की व्याख्या के संबंध में कोई संदेह पैदा होता है तो सरकार आयोग के साथ परामर्श से इस पर निर्णय लेगी।

2040 DG/16–2

अनूसूची–I

दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/यूनानी) स्वास्थ्य सेवा में सम्मिलित 'क' वर्ग के पदों इत्यादि के ग्रेड, वेतनमान और प्रैक्टिस बंदी भत्ता इत्यादि :–

क्र0 सं0	ग्रेड	वेतनमान
(i)	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड	वेतन समूह–4 (37,400–67,000/–रुपये)+ग्रेड पे 10,000/–रुपये
(ii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्यात्मक चयन ग्रेड)	वेतन समूह–4 (37,400–67,000/–रुपये)+ग्रेड पे 8700/–रुपये
(iii)	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100/–रुपये)+ग्रेड पे 7600/–रुपये
(iv)	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100/–रुपय)+ग्रेड पे 6600/–रुपये
iv)	चिकित्सा अधिकारी	वेतन समूह–3 (15,600–39,100/–रुपय)+ग्रेड पे 5400/–रुपये

II. **प्रैक्टिस बंदी भत्ता**

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य प्रैक्टिस बंदी भत्ते की दरें होंगी।

III. **वार्शिक भत्ता**

सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार ग्राह्य स्नातकोत्तर भत्ता/सवारी भत्ता/वार्षिक भत्ता।

अनूसूची–II

दिल्ली सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/यूनानी) स्वास्थ्य सेवा संवर्ग का प्राधिकृत संख्या बलः–

क्र0 सं0	पदनाम	पदों की संख्या
1	मुख्य चिकित्सा अधिकारी	1
	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	2
	चिकित्सा अधिकारी	42
2	जोड़	45

अनुसूची–III

भर्ती पद्धति, पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र तथा दिल्ली स्वास्थ्य सेवा सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी भारतीय चिकित्सा पद्धति (आयुर्वेद/यूनानी) के आसन्न न्यून ग्रेड में न्यूनतम अर्हक सेवा या अधिकारियों की "क" समूह ड्यूटी पदों पर पदोन्नति :–

क्र0 सं0	पदनाम एवं वेतनमान (पे बैंड तथा ग्रेड पे)	पदोन्नति के लिए भर्ती पद्धति	चयन का क्षेत्र तथा न्यूनतम अर्हक सेवा
	1	2	3
1.	**वरिश्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)** वेतन समूह–4 (37,400–67,000/–रुपये)+ग्रेड पे 10,000/–रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100प्रतिशत	**पदोन्नतिः–** 14300–18300/–रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में सेवा सहित पे बैंड–4 में 8700/–रुपये के ग्रेड पे में सात वर्ष या बीस वर्षों की नियमित सेवा।
2	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी** (गैर कार्यात्मक चयन ग्रेड) वेतन समूह (37400–67000/–रुपये + ग्रेड पे 8700/–रुपये)	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100प्रतिशत	**पदोन्नतिः–** "क" समूह के पदों में तेरह वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना 12000–16500/–रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3 ग्रेड पे 7600/–रुपये में मुख्य चिकित्सा अधिकारी/उप निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर।
3	**मुख्य चिकित्सा अधिकारी** वेतन समूह–3 (15600–39100 /–रुपये) ग्रेड पे 7600/– रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100प्रतिशत	10,000–15,200/–रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3 ग्रेड वेतन 6600/–रुपये में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में पांच वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर या चिकित्सा अधिकारी तथा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के रूप में कुल नौ वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर जिसमें रिक्त पदों का सम्बद्ध किए बिना कम से कम दो वर्ष वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी/सहायक निदेशक (भारतीय चिकित्सा के रूप में पद्धति)। टीपः– 12000–16500/–रुपये के वेतनमान में नियमित रूप से नियुक्त किए गये विद्यमान उप–निदेशक (भारतीय चिकित्सा पद्धति) हैं वह प्रारम्भिक गठन में मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्तर पर सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किए जाएंगे।
4	**वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी** वेतन समूह–3 (15600–39100/–रुपये) ग्रेड पे 6600/–रुपये	वरिष्ठता क्रम एवं उपयुक्तता की शर्त अधीन रिक्त पदों से सम्बद्ध किए बिना गैर चयन आधार पर पदोन्नति द्वारा 100प्रतिशत	8000–13,500/–रुपये के संशोधन पूर्व वेतनमान में की गई सेवा सहित वेतन समूह–3, ग्रेड पे 5400/–रुपये में चिकित्सा अधिकारी के रूप में चार वर्ष की नियमित सेवा पूरी होने पर।
5	**चिकित्सा अधिकारी** वेतन समूह–3 (15,600–39100/–रुपये, ग्रेड पे 5400/–रुपये)	संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करके यथानिर्धारित आयु सीमा तथा शैक्षिक योग्यताएं एवं अनुभव के आधार पर संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली लिखित परीक्षा तत्पश्चात् संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिए गए साक्षात्कार के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा।	शैक्षिक योग्यता, अनुभव तथा आयु सीमा आदि के लिये अनुसूची–ट देखिए।

टीपः– पदोन्नतियां "गैर चयन" आधार पर होगी। विभागीय पदोन्नतियां उसी उप–संवर्गों के अधिकारियों तक सीमित होंगी। सभी प्रयोजनों के लिए आयुर्वेद एवं यूनानी दो अलग–अलग उप–संवर्ग होंगे।

अनुसूची–IV

दिल्ली स्वास्थ्य सेवा में सामान्य ड्यूटी चिकित्सा अधिकारी (भारतीय चिकित्सा पद्धति) के समूह 'क' के पदों पर पदोन्नति या स्थायीकरण के विचारार्थ समूह 'क' विभागीय पदोन्नति समिति :–

(क) वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के लिये विभागीय पदोन्नति समिति

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार — सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी (गैर प्रकार्य चयन ग्रेड) के लिये विभागीय पदोन्नति समिति

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार — सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य

मुख्य चिकित्सा अधिकारी

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार — सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य

वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार — सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य

(ख) चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी) के लिये विभागीय पदोन्नति समिति

1. मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — अध्यक्ष
2. संबंधित सचिव, दिल्ली सरकार — सदस्य
3. संबंधित विभागाध्यक्ष जब वह सरकार में पदेन सचिव न हो — सदस्य

नोट 1: मनोनीत अधिकारी पदोन्नति के लिये विचारणीय व्यक्तियों से कम से कम सामान्यतः एक स्तर ऊपर होगा।

अनुसूची–V

क्र0 सं0	पदनाम एवं वेतनमान पे बैंड तथा ग्रेड पे	आयु	भौक्षिक एवं अन्य अपेक्षित योग्यताएं
1	चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी)	35 वर्ष से अधिक नहीं	1. केन्द्रीय भारतीय चिकित्सा

	(पे बैंड–3 (15,600– 39,100/–रुपये) ग्रेड पे 5400/–रुपये)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	**टीप–1** : केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय **टीप–2** : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो भारत में रह रहे उम्मीदवारो के आवेदन–पत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लद्दाख सब डिजीवन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चम्बा जिले की पांगी सब डिवीजन व अंडमान निकोबार द्वीपसमूह व लक्षद्वीप के उम्मीदवारो के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नही है।	परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48) के अधीन मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या सांविधिक राज्य बोर्ड/परिषद् से आयुर्वेद/युनानी में डिग्री या समकक्ष 2. आयुर्वेद/युनानी के केन्द्रीय या राजकीय रजिस्टर में नामांकन **टीप–1** अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
2	वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी) (पे बैंड–3 (15,600– 39,100/–रुपये) ग्रेड पे 6600/–रुपये)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं	लागू नहीं
3	मुख्य चिकित्सा अधिकारी (आयुर्वेद/युनानी) (पे बैंड–3 (15,600– 39,100/–रुपये) ग्रेड पे 7600/–रुपये)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं	लागू नहीं
4	मुख्य चिकित्सा अधिकारी, एनएफएसजी (आयुर्वेद/युनानी) (पे बैंड–4 (37,400– 67,000/–रुपये) ग्रेड पे 8700/–रुपये)+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं	लागू नहीं
5.	वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (पे बैंड–4 37,400– 67,000/–रुपये ग्रेड पे 10,000/–रुपये+प्रैक्टिस बंदी भत्ता	लागू नहीं	लागू नहीं

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
हेमंत कुमार,उप–सचिव

2040 DG/16-3

HEALTH AND FAMILY WELFARE DEPARTMENT
NOTIFICATION

New Delhi the 26th April, 2016

F. No. 6/59/2002/DISMH/Admn/1356 - In exercise of the powers conferred under article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs O.M. No. 24/78/68-DH(S), dated the 24th September, 1968 and in supersession of the Delhi Health Service Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine) Rules 2012 notified on 31st December, 2012 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, after prior consultation with the Union Public service Commission, is pleased to frame the Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine), in the Directorate of AYUSH, under the Health and Family Welfare Department, Government of the National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (i) These rules may be called the Delhi Health Services Rules of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine), 2016

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**– In these rules, unless the context otherwise requires, –

(a) **"Commission"** means the Union Public Service Commission;
(b) **"Controlling Authority"** means the Health and Family Welfare Department, Government of the National Capital Territory of Delhi;
(c) **"Departmental Promotion Committee"** means a Group "A" Departmental Promotion Committee specified in the Schedule IV for considering cases of promotion or confirmation in Group "A" posts of the service;
(d) **"Duty Post"** means any post, whether permanent or temporary, specified in the Schedule – II;
(e) **"Government"** means the Lt Governor of the National Capital Territory of Delhi appointed by the President under article 239 and designated as such under article 239 AA of the Constitution;
(f) **"Grade"** means any of the grades specified in the Schedule-I;
(g) **"Schedule"** means a Schedule appended to these rules; and
(h) **"Service"** means the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer Indian System of Medicine.

3. **Constitution of Service.**-There shall be constituted a Service known as the Delhi Health Service of General Duty Medical Officers Indian System of Medicine (Group 'A') consisting of persons, appointed under rule 7 of these rules.

4. **Composition of the Service.**-All duty posts, included in the Service shall be classified as General Central Civil Service Group "A" Gazetted, non-ministerial and the grades, scales of pay, non-practicing allowance and other matters connected therewith shall be as specified in Schedule – I.

5. **Authorized Strength of the Service.**-(1) The authorized strength of the duty posts included in the various grades of the Service on the date of commencement of these rules shall be as specified in the Schedule- II.

(2) After the commencement of these rules, the authorized permanent strength of the duty posts in the various grades shall be such as may from time to time be determined by the Government.

(3) The Government may make temporary addition to, or reduction in the strength of the duty posts in the various grades as deemed necessary from time to time.

(4) The Government may, in consultation with the Commission, include in the Service any post other than those included in Schedule- II or exclude from the Service a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer whose post is included in the Service under sub-rule (4), to the appropriate grade of the Service in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(6) Five percent of the total number of posts of the Senior Medical Officers and Chief Medical Officers shall be included in the Service as "leave reserve".

6. **Members of the Service.**-(1) The following persons shall be members of the Service, namely

(a) persons appointed under sub-rule (5) of rule 5; and

(b) persons appointed to duty posts under rule 7;

(2) A person appointed under clause (b) of sub-rule (1) shall, on such appointment, be deemed to be the member of the Service in the appropriate Grade applicable to him in the Schedule– II.

(3) A person appointed under clause (c) of sub- rule (1) shall, be the Member of the Service in the appropriate grade applicable to him in the Schedule- II from the date of such appointment.

7. **Future Maintenance of Service.**-(1) The vacancies in any of the grades referred to in the Schedule – II shall be filled in the manner as hereinafter provided under these rules.

(2) The method of recruitment, the field of selection for promotion including the minimum qualifying service in the immediate lower grade for appointment or promotion to the posts in the respective sub-cadres shall be as specified in the Schedule- III.

(3) (a) The Departmental Promotions shall be confined to officers of the cadres.

(b) The Departmental Promotions to higher posts shall be made on the basis of selection from amongst the officers of the Service in the immediate lower grade on the recommendations of the Departmental Promotion Committee constituted as at the Schedule – IV.

(4) If any officer appointed to any post in the Service is considered for the purpose of promotion to the higher post, all persons senior to him in the grade shall also be considered, provided they are not short of requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/ eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying/ eligibility service.

(5) (a) Except while appointing a serving officer on non-selection basis (seniority –cum fitness), the selection of officers for maintenance of the service shall be made in consultation with the Commission, and wherever necessary, on the basis of the recommendation made by the Departmental Promotion Committee as specified in the Schedule– IV.

(b) (a)The minimum educational and other qualification, experience and age limit for appointment of various duty posts in the Service by direct recruitment shall be as specified in the Schedule– V.

(b)The promotion to the grades (other than entry grades) mentioned above shall be without linkage to vacancies.

(6) For functional purposes.-(a) A Senior Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of AYUSH shall be designated as Senior Medical Officer or as Assistant Director as the case may be.

(b) A Chief Medical Officer when posted in a Dispensary/Hospital or in the Directorate of Indian System of Medicine and Homoeopathy shall be designated as Chief Medical Officer, or as Deputy Director as the case may be.

(c) The existing Assistant Director in the scale of pay Rs. 10,000 -15,200/- plus NPA(pre-revised)/ Rs. 15,600-39,100/- plus Grade pay Rs 6600/- (revised) plus NPA and Deputy Director in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- (pre revised)/ Rs 15,600-39,100/- plus Grade pay Rs 7600/-(revised) plus NPA, shall be deemed to have been included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers in the scale of pay Rs. 10,000 -15,200/- plus NPA(pre-revised)/ Rs. 15,600-39,100/- plus Grade pay Rs. 6600/- (revised) plus NPA and Chief Medical Officer in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- (pre revised)/ Rs. 15,600-39,100/- plus Grade pay Rs. 7600/-(revised) plus NPA respectively. The Assistant Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Senior Medical Officers shall be eligible to be considered for appointment as Chief Medical Officers in the scale of pay of Rs. 12,000-16,500/- (pre revised)/ Rs. 15,600-39,100/- plus Grade pay Rs. 7600/-(revised) plus NPA on completion of five years of regular service as Assistant Director. The Deputy Director, so included in the General Duty Medical Officers Cadre at the level of Chief Medical Officer shall be eligible to be considered for appointment in the grade of Chief Medical Officer (Non-functional Selection Grade) in the scale of pay of Rs. 14,300-18,300/- plus NPA (pre revised)/ PB IV, Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs 8700/- plus NPA (revised) on completion of four years regular service in the grade.

(d) The Chief Medical Officer (NFSG) in the scale of pay of Rs. 14,300- 18,300/- plus NPA (pre-revised)/ PB-IV 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 8700/- plus NPA (revised) on completion of the seven years in Grade Pay of Rs. 8700/- in PB IV including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300/- or twenty years of regular service shall be promoted to Senior Administrative Grade in the pay scale of Rs. 14,300-18,300/- plus NPA (pre-revised)/ PB IV, Rs. 37,400- 67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/- plus NPA (revised).

8. **Seniority.**-(a)The seniority of members of the service appointed to a grade at the time of initial constitution of the service under rule 6, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided that if the seniority of any such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of the rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the Service prior to the commencement of these rules.

(b) The seniority of officers recruited to posts other than those appointed under rule 6 shall be determined in accordance with the orders issued by the Central Government in the matter from time to time.

(c) The seniority of persons recruited to the Service in accordance with sub-rule (5) of rule 5 shall be fixed in the matter provided therein.

(d) In cases not covered by the above provisions, seniority shall be determined by the Government in consultation with the Commission.

9. **Probation.**-(1) Every officer appointed to the Service by direct recruitment shall be on probation for a period of one year:

Provided that the controlling authority may extend the period of probation in accordance with the instructions issued by Government from time to time:

Provided further that any decision for extension of a probation period shall be taken ordinarily within eight weeks after the expiry of the previous probationary period and communicated in writing to the concerned officer together with the reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the probation or any extension thereof, officers shall if considered fit, may be confirmed against the post, if not already confirmed in the entry grade.

(3) If during the period of probation or any extension thereof, as the case may be Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the Service, as the case may be.

(4) During the period of probation, or any extension thereof candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass such examinations and tests (including examination in Hindi) as Government may deem fit as condition for satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service will be governed by the instructions issued by the Government of India in this regard from time to time.

10. **Appointment to the Service.**- All appointments to the Service shall be made by the Controlling Authority.

11. **Liability for service and other conditions of service.**- (1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in Delhi.

(2) Private Practice prohibited:-

i. Persons appointed to the service shall not be allowed private practice of any kind whatsoever including any consultation and laboratory practice.

ii. Such persons shall be entitled to a Non- practicing allowance at the rate specified in Schedule –I.

(3) The conditions of service of the members of the service in respect of matters not expressly provided for in these rules, shall, mutatis mutandis and subject to any special orders issued by the Government in respect of the Service, be the same as those applicable to Officers of the Central Civil Services in general.

12. **Disqualification.**- No person, shall be eligible for appointment to the Service,-

(i) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(ii) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

13. **Powers to relax.**- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

14. **Saving Clause.**- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, Schedule Tribes, other backward class, Ex- servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

15. **Interpretation.**- If any question relating to the interpretation of these rules arises, the Government shall decide it in consultation with the Commission.

SCHEDULE-I

Grade, Scales of Pay and Non-Practicing Allowance etc. of Group- "A" Posts included in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Ayurveda /Unani).-

(I)

S. No.	Grade	Scale of Pay
i.	Senior Administarative Grade	PB-4, Rs. 37,400-67,000/-plus Grade Pay Rs. 10,000/-
ii.	Chief Medical Officer (Non functional Selection Grade)	PB-4,Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 8700/-
iii.	Chief Medical Officer	PB-3,Rs. 15,600-39,100/-plus Grade Pay Rs. 7600/-
iv.	Senior Medical Officer	PB-3,Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6600/-
v.	Medical Officer	PB-3,Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 5400/-

(II) Non – Practice Allowance.-

Rates of Non-Practicing Allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

(III) Annual Allowance.-

Post Graduate Allowance/Conveyance allowance/Annual allowance admissible as per orders issued from time to time by the Government.

SCHEDULE- II

Authorized strength of Delhi Health Service of General Duty Medical Officer Indian System of Medicine(Ayurveda / Unani) cadre.-

S. No	Designation	Number of Posts
1	Chief Medical Officer	1
	Senior Medical Officer	2
	Medical Officer	42
2	Total	45

2040 DG/16-4

SCHEDULE – III

The method of recruitment, field of selection for promotion and the minimum qualifying service in the immediate lower grade or promotion of officers to Group "A" duty posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer Indian System of Medicine(Ayurveda/ Unani):-

Sl. No	Name of the Post and scale of pay (Pay band and grade pay)	Method of recruitment for promotion	Field of Selection and Minimum qualifying service
	1	2	3
1	Senior Administrative Grade (SAG) PB-4, Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	**Promotion:** Seven years in grade pay of Rs. 8700/- in PB-4 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 14,300-18,300/- or twenty years of regular service
2	Chief Medical Officer (Non-Functional Selection Grade) PB-4, Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 8700/-	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	**Promotion:** On completion of thirteen years of regular service in Group "A" posts or on completion of four years of regular service as Chief Medical Officer /Deputy Director (ISM) in the Grade Pay of Rs. 7600/- in PB-3 including service rendered in the pre-revised pay scale of Rs. 12,000-16,500/- without linkage to vacancies.
3	Chief Medical Officer PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 7600/-	100% by promotion on non-selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	On completion of five years of regular service as Senior Medical Officer/ Assistant Director(ISM) in the Grade Pay of Rs. 6600/- in PB-3 including service rendered in the pre-revised scale of Rs. 10,000-15,200/- or on completion of nine years of combined regular service as Medical officer and Senior Medical Officer/ Assistant Director (ISM) of which at least two years shall be as Senior Medical Officer/Assistant Director (ISM), without linkage to vacancies. **Note:** The existing Deputy Director (ISM) who has been regularly appointed in the scale of Rs. 12,000-16,500/- shall be included in the GDMO cadre at CMO level in the initial constitution.
4	Senior Medical Officer PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 6600/-	100% by promotion on Non-Selection basis without linkage to vacancies subject to seniority-cum-fitness.	On completion of four years of regular service as Medical Officer in Grade Pay of Rs. 5400/- in PB-3 including the service rendered in the pre-revised scale of Rs. 8000-13,500/-
5	Medical Officer PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 5400/-	By direct recruit. on the basis of a written examination to be conducted by the Union Public Service to be followed by an interview through Union Public Service Commission in	See Schedule V for qualification, experience and age limit, etc.

		accordance with age limit and educational qualifications and experience as may be prescribed in consultation with the Union Public Service Commission.	

Note:
Promotions shall be on "Non- Selection" basis. The departmental promotions shall be confined to officers of the same sub- cadres. The Ayurveda and Unani shall be two separate sub cadres for all purposes.

SCHEDULE –IV

Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering the cases of promotion or confirmation in Group "A" posts in the Delhi Health Service of General Duty Medical Officer (Indian System of Medicine) :-

A. Departmental Promotion Committee for
Senior Administrative Grade consisting of:

1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi - Chairman
2. Secretary concerned in GNCT of Delhi - Member
3. HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi - Member

Chief Medical Officer (Non Functional Selection Grade) consisting of:

1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi - Chairman
2. Secretary concerned in GNCT of Delhi - Member
3. HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi - Member

Chief Medical Officer consisting of:

1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi - Chairman
2. Secretary concerned in GNCT of Delhi - Member
3. HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi - Member

Senior Medical Officer consisting of:

1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi - Chairman
2. Secretary concerned in GNCT of Delhi - Member
3. HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi - Member

B. Departmental Promotion Committee for
Medical Officer (Ayurveda/ Unani)consisting of:

1. Chief Secretary, Govt. of N.C.T. of Delhi - Chairman
2. Secretary concerned in GNCT of Delhi - Member
3. HOD concerned unless he is ex-officio Secretary in GNCT of Delhi - Member

Note 1: The nominee officer should be normally at least one level above the level for which the persons are to be considered for promotion.

SCHEDULE –V

S. No.	Name of the Post and scale of pay, pay band and grade pay	Age	Educational and other qualification required
1.	Medical Officer (Ayurveda/ Unani) PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 5400/- plus NPA	Not exceeding 35 years. **Note – 1**Relaxable for Government Servants by five years in accordance with instructions issued by the Central Government. **Note - 2** The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India, (and not the closing date prescribed from those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim Ladakh Division of J & K State, Lahaul & Spiti District and Pangi sub – division of Chamba district of Himachal Pradesh, Andaman & Nicobar Islands or Lakshadweep).	**(i)** Degree in Ayurveda/ Unani of a recognized University or Statutory State Board/Council of equivalent recognized under the Indian Medicine Central Council Act, 1970 (48of 1970). **(ii)** Enrolment on State Register or Central Register of Ayurveda/ Unani. **Note:** Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in case of candidates otherwise well qualified.
2.	Senior Medical Officer (Ayurveda/ Unani) PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plusGrade Pay Rs. 6600/- plus NPA	Not applicable.	Not applicable.
3.	Chief Medical Officer (Ayurveda/ Unani) PB-3, Rs. 15,600-39,100/- plus Grade Pay Rs. 7600/- plus NPA	Not applicable.	Not applicable.
4.	Chief Medical Officer NFSG (Ayurveda/ Unani), PB-4, Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 8700/- plus NPA	Not applicable.	Not applicable.
5	Senior Administrative Grade PB-4, Rs. 37,400-67,000/- plus Grade Pay Rs. 10,000/-plus NPA	Not applicable.	Not applicable.

By Order and in the Name of Lt. Governor of NCT of Delhi,
HEMANT KUMAR, Dy. Secy.

शहरी विकास विभाग

आदेश

दिल्ली 26 अप्रैल, 2016

फा.सं. 13(73)/वि–डिफसि/एमबी/श0वि0/2016/643.—दिल्ली वित्त आयोग अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 10) की धारा 3 तथा मंत्री परिषद् की सिफारिशों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (यहां "आयोग" के रूप में संदर्भित) के लिए निम्न पांचवा वित्त आयोग गठित करते हैं, जो 1 अप्रैल 2016 से शुरू करेगा और पॉच वित्त वर्षो 2016–21 की अवधि का अवलोकन करेगा और निम्न अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव इस आयोग में होंगे:–

(1) श्री सुधीर कृष्णा	अध्यक्ष
(2) श्री के. आर. किशोर	सदस्य सचिव

2. आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य अधिसूचना जारी करने की तिथि से 18 महीने तक कार्यभार संभालेंगे और 02 अतिरिक्त सदस्यों के नाम अलग से अधिसूचित किये जायेंगे।
3. अध्यक्ष एवं सदस्य सचिव पूर्णकालिक सेवा प्रदान करेंगे।
4. आयोग निगमों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा और अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा–

(क) **नियम जो शासित करें**

(i) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार द्वारा वसूले जाने वाले कर, ड्यूटी तथा फीस की सकल आय को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा निगमों के बीच वितरण, जोकि दोनों के बीच वितरित किया जाना है।

(ii) कर, ड्यूटी, टोल तथा फीस का निर्धारण जोकि निगमों दिया जाना है।

(iii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की समेकित निधि से निगमों को सहायता अनुदान; तथा

(ख) **निगमों की वित्तीय स्थिति सुधारने हेतु उपाय।**

5. आयोग द्वारा सिफारिशें करने के दौरान, आयोग दूसरी सिफारिशो के साथ अन्य पहलुओं पर भी विचार करेगा:–

i राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की समग्र स्रोत स्थिति;

ii निगम प्रशासन में अर्थव्यवस्था के लिये स्कोप;

iii निगमों द्वारा स्रोत मोबीलाइजेशन में सुधार के लिये अवसर;

iv निगमों द्वारा कर हेतु किए गए प्रयास;

v सृजित और इसके तहत सृजित होने वाले सहित पूंजीगत संपत्ति का पर्याप्त अनुरक्षण एवं रखरखाव;

vi मार्च, 2016 के अंत तक प्लान स्कीम (उपलब्ध व्यय एवं मानदंड, जिसके आधार पर पूंजीगत संपत्ति के विभिन्न संवर्गो के अनुरक्षण के लिय उपलब्ध ऐसा व्यय तथा ऐसे रखरखाव व्यय को मॉनीटर करने का तरीका दर्शाया जाएगा।)

vii प्रशासन को आधुनिक बनाने के लिए (उदाहरण के लिए ई–गवर्नेंस) निगम निकायों की आवश्यकताएं तथा सर्विस के स्टैण्डर्ड को अपग्रेड करना (ऐसे व्यय का विवरण उपलब्ध कराया जाए और इसकी मॉनीटरिंग कैसे की जाए, दर्शाया जाए)।

6. स्रोतो की उपलब्धता तथा विशेष रूप से ऐच्छिक कार्यो के संबंध में क्षमता की सीमा को ध्यान में रखते हुए निगमों को सौंपे गए कार्य की आयोग द्वारा समीक्षा।
7. आयोग 31 मार्च, 2015 को निगमों की ऋण स्थिति का आकलन भी करेगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की वित्तीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए आवश्यक समझे जाने वाले सुधारात्मक कदमों का सुझाव देगा।

2040 DG/16-5

8. आयोग विशेष मामले के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के समेकित निधि में से दिल्ली छावनी बोर्ड को वित्तीय हस्तांतरण पर सिफारिश भी कर सकता है।

9. आयोग निम्न पहलूओं पर भी अवश्य ध्यान देगा जोकि स्थानीय निकायों को दीर्घकालीन मजबूती प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं :–

(i) संपत्ति सृजन एवं संपत्ति प्रबंधन के बीच प्रभावी संबंध स्थापित करना ताकि न केवल सृजित संगठनात्मक सर्विस का उचित प्रकार से अनुरक्षण हो सके बल्कि यह लम्बे समय तक कायम रहे;

(ii) सिविक सुख सुविधाओं के स्केलिंग की डिलीवरी;

(iii) निगम निकायों के आधारभूत क्रियाकलाप में ई–गवर्नेंस एप्लीकेशन का प्रारंभ;

(iv) बेहतर वित्तीय प्रबंधन के लिए क्षमता निर्माण कार्यक्रम;

(v) लेखाकरण सुधार, डबल एंट्री प्रणाली को अपनाना तथा लेखाकरण/लेखा परीक्षा को अद्यतन करना; तथा

(vi) सुव्यवस्थित प्रशासनिक प्रक्रिया के लिए ई–खरीदारी तथा इसका विकास।

10. आयोग प्रथम दृष्टया में गत 10 से 15 वर्षों के लिए स्थानीय निकायों के आंतरिक एवं बाह्य राजस्व की स्थिति का समग्र रूप से विश्लेषण करेगी और कर की दर तथा गैर कर राजस्व के पुनरीक्षण पर आधारित कुछ अनुमान और अतिरिक्त स्रोत जुटाने के आधार पर वास्तविक प्रक्षेपण करेगा।

11. स्थानीय निकायों का व्यय एवं राजस्व का आकलन वास्तविक और मानकीय व्यय आवश्यकता पर आधारित होगा। व्यय आवश्यकता का आकलन करने के दौरान वित्तीय क्षमता और आवश्यकता व्यय में स्थानीय निकायों के बीच भिन्नता पर भी विचार किया जाए।

12. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार कर राजस्व पर अपना आकलन भी प्रस्तुत करेगी और गैर योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के व्यय से निपटने के बाद निवर्तमान कार्य और नए कार्य पर योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश का प्रस्ताव करना।

13. स्थानीय निकाय को बेसिक टैक्स असायनमेंट के रूप में कर राजस्व के हिस्से की सिफारिश करने से पूर्व आयोग द्वारा दिल्ली सरकार के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में योजना तथा गैर योजना व्यय दोनों को लेकर व्यय के आकलन हेतु व्यापक पहल की आवश्यकता है।

14. आयोग स्थानीय निकायों की वर्तमान गतिविधियों का भी अध्ययन करेगा और देखेगा कि इनका कुछ कार्य अर्थात् प्रमुख अस्पताल इत्यादि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को स्थानांतरित किए जा सकते हैं जिससे इनके व्यय में कमी हो सकती है।

15. आयोग स्थानीय निकायों में व्यय के आवर्ती एवं गैर आवर्ती मदों के व्यय के मुख्य घटकों में दक्षता तथा मिव्ययता के साथ बेहतर वित्तीय प्रबंधन अनुकूलता के लिए अवसर भी देखेगा।

16. आयोग अपनी रिपोर्ट में यह भी दर्शाएगा कि वह अपने निष्कर्ष पर कैसे पहुंचा है और जहां तक संभव हो प्रत्येक ऐसे निकाय के लिए अलग से तथा सभी निगमों के लिए एक साथ प्राप्ति एवं संवितरण का आकलन/अनुमोदन भी दर्शाएगा।

17. आयोग प्रत्येक उपरोक्त मदों 01 अप्रैल, 2016 से प्रारंभ कर पांच वित्तीय वर्ष की अवधि पर अपनी रिपोर्ट कमीशन के गठन की अधिसूचना की तिथि के 18 महीने के अंदर तक उपलब्ध कराएगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली
के उपराज्यपाल के नाम एवं आदेशों द्वारा
संजीव मनकोटिया, उप–सचिव

DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT

ORDER

Delhi, the 26th April, 2016

F.NO.13/73/V-DFC/MB/UD/2016/643.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Delhi Finance Commission Act, 1994 (Delhi Act 10 of 1994) and on the recommendation of the council of Ministers, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby, constitutes the Fifth Finance Commission for the National Capital Territory of Delhi to cover the five financial years period 2016-2021 commencing from 1st April, 2016 (herein referred to as "the Commission"). The commission shall comprise of the following as Chairman and Member Secretary:-

1. Shri Sudhir Krishna — Chairman
2. Shri K.R. Kishore — Member Secretary

The name of the other two members shall be notified separately by the Government.

2. The Chairman and Members of the Commission shall hold office for the period of 18 months commencing from the date of issue of notification constituting the Commission.

3. The Chairman and Member Secretary shall render full time service.

4. The Commission shall review the financial position of the Municipalities and make recommendations as to –

(a) the principles which should govern

(i) the distribution between the Government of National Capital Territory of Delhi and the Municipalities of the net proceeds of the taxes, duties, tolls and fees leviable by the government of National Capital Territory of Delhi which may be divided between them,

(ii) the determination of the taxes, duties, tolls and fees which may be assigned to the Municipalities.

(iii) the grants-in-aid to the Municipalities from the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, and

(b) the measures needed to improve the financial position of the Municipalities.

5. In making its recommendations, the Commission shall have regard, among other considerations, to -

i. the overall resource position of the Government of National Capital Territory of Delhi;
ii. the scope for economy in the municipal administration;
iii. the scope for improvement in resource mobilization by the Municipalities;
iv. tax effort made by the Municipalities;
v. adequate maintenance and upkeep of capital assets including those created or likely to be created under:
vi. the Plan schemes till the end of March, 2016 (the expenditure provided therefor and the norms, if any, on the basis of which such expenditure is provided for maintenance of different categories of capital assets and the manner in which such maintenance expenditure could be monitored may be indicated),
vii. the requirements of the Municipal bodies for modernization of administration (for example e-governance) and upgrading the standards of services (the details for such expenditure provided for and manner in which this could be monitored may be indicated).

6. The Commission may Review the functions assigned to Municipalities keeping in view the availability of resources, and the limitation of capacity especially with regard to the discretionary functions.

7. The Commission may make an assessment of the debt position of Municipalities as on 31st March, 2016 and suggest such corrective measures as deemed necessary, keeping in view the financial requirements of the Government of National Capital Territory of Delhi.

8. The Commission may make recommendations on the financial devolution to the Delhi Cantonment Board out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, as a special case.

9. The Commission must also focus on the following aspects which are essential for the long term strengthening of the local bodies:-

i. securing effective linkages between asset creation and asset management, so that infrastructural services created are not only maintained effectively but also become self-sustaining over time;
ii. scaling of delivery of civic amenities;
iii. Introduction of e-governance applications in core functions of municipal bodies;
iv. Capacity building programmes for better financial management;
v. Accounting reforms, adoption of double entry system and up-to-date accounting / audit system; and
vi. e-procurement and development of a well organized administrative system.

10. The Commission may in the first instance thoroughly analyze the Internal and External Revenue position of the local bodies for the last 10 to 15 years and then make realistic projections on the basis of some assumptions and Additional Resources Mobilization based on revision of rates of tax and non-tax revenue.

11. The expenditures and revenues of local bodies to be assessed based on actual and normative expenditure needs. While assessing expenditure needs the differences among the local bodies in fiscal capacity and expenditure need may also be considered.

12. The GNCTD will also furnish their projections of Tax revenue and proposed capital investment under Plan on outgoing works and new works after meeting the expenses of GNCTD under Non-Plan.

13. A comprehensive approach to the assessment of expenditure needs by taking both Plan and non-Plan expenditure of GNCTD may be adopted by the Commission before recommending the outgo of Tax revenue in the form of BTA to local bodies.

14. The Commission may also study the present activities of local bodies and see whether some of their functions i.e. Major Hospitals etc. can be transferred to GNCTD which may reduce their expenditure.

15. The Commission may also look into the scope for better fiscal management consistent with efficiency and economy in major components of recurring and nonrecurring items of expenditure of local bodies.

16. The Commission shall also indicate in its report the basis on which it has arrived its findings and indicate, as far as possible, the estimates/forecasts of receipts and disbursements for all the Municipalities together as well as separately for each of such bodies.

17. The Commission shall submit its report within 18 months from the date of issue of notification constituting the Commission on each of the matters aforesaid and covering a period of five financial years starting from April 1, 2016.

By Order and in the Name of the Lt. Governor
of the National Capital Territory of Delhi
SANJEEV MANKOTIA, Dy. Secy.

अधिसूचना

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2016

सं.फा. 16(507)/श0वि0/डब्ल्यू /2015/596.– दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 (1998 का दिल्ली अधिनियम संख्या 4) की धारा 7 तथा 51 के साथ पठित धारा 109 की उपधारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा सक्षम प्राधिकारी की दिनांक 12.2.2015 के आदेशों के अनुसार अनुमोदित तथा दिनांक 08.05.2015 के पत्र सं0 3/24(3)/2015–आरआर के अनुसार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा दी गई सहमति से तथा दिनांक 26.11.1981 की अधिसूचना संख्या फा0 09/30/81–एलएसजी/7797 द्वारा अधिसूचित कैमिस्ट भर्ती तथा पदोन्नति विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बातें या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर दिल्ली जल बोर्ड में **कैमिस्ट** के पद की भर्ती पद्धति संबंधी दिल्ली जल बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम इसके द्वारा प्रकाषित किए जाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक तथा प्रारंभ** :– (1) इन विनियमों को दिल्ली जल बोर्ड **कैमिस्ट** के पद के भर्ती विनियम, 2016 कहा जाये।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण एवं वेतनमान** :– उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा उसके साथ संलग्न वेतनमान इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, अन्य योग्यताएं** :– उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :– कोई भी व्यक्ति

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से, विवाह किया है जिसका जीवित पति/पत्नी है; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह या विवाह का अनुबंध किया है, वह उक्त पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा :

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्तियों और विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत्त है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये अन्य आधार है/हैं, तो किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

5. **छूट प्रदान करने की शक्ति** :– जहां राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श पर किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपबंधों से छूट प्रदान कर सकती है।

6. **बचाव** :– इन विनियमों में कोई भी बात इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये उपबंधित किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	**कैमिस्ट**
2.	पदों की संख्या	:	20 (2015) इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर।
3.	वर्गीकरण	:	श्रेणी "ख"
4.	पे बैंड एवं ग्रेड पे /वेतनमान	:	वेतन समूह–2 में 9300–34800/–रुपये (ग्रेड पे 4800/–रुपये)
5.	क्या चयन पद है या गैर चयन पद	:	चयन
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	लागू नहीं
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएँ	:	लागू नहीं
8.	क्या सीधी भर्ती के लिये अपेक्षित आयु एवं शैक्षिक योग्यता पदोन्नति के मामले में भी लागू होगी।	:	लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	लागू नहीं
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	पदोन्नति द्वारा
11.	यदि पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है	:	**पदोन्नतिः–** दिल्ली जल बोर्ड प्रशिक्षण संस्थान से एक सप्ताह का प्रशिक्षण पूरा करने वाले तथा ग्रेड में दो वर्ष की नियमित सेवा सहित 4600/–रुपये ग्रेड पे सहित 9300–34800/–रुपये, पे बैंड–2 में सहायक कैमिस्ट। **टीपः**– जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है। **टीपः**– पदोन्नति के लिये न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिये 01.01.2006 से पहले किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा जिस तिथि से छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित संशोधित वेतन संरचना लागू की गई है। यह तिथि वेतन आयोग की संस्तुतियों पर आधारित लागू सम्बद्ध ग्रेड पे/वेतनमान में की गई सेवा मान ली जाएगी।

2040 DG/16–6

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	"ख" वर्गीय विभागीय पदोन्नति समिति (पदोन्नति पर विचारार्थ) 1. सदस्य (ए) –अध्यक्ष 2. निदेशक (ए एंड पी) – सदस्य 3. निदेशक शोधन एवं गुणवत्ता नियंत्रण – सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्ष आवश्यक नहीं है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आदेश से
तथा उनके नाम पर
आर. सी. केसरवानी, सहायक निदेशक (जल)

NOTIFICATION

Delhi, the 26th April, 2016

No.16(507)/UD/W/2015/596.— The following Recruitment Regulations made by the Delhi Water Board under clause(m) sub-section (2) of section 109 read with section 7 and 51 of the Delhi Water Board Act, 1998 (Delhi Act. No. 4 of 1998) approved vide Competent Authority orders dated 12.02.2015 and concurred by the Union Public Service Commission vide letter F. No. 3/24(3)/2015-RR dated 08.05.2015 and in supersession of the Chemist recruitment and promotion regulations notified vide notification No. F. 9/30/81-LSG/7797 dated 26.11.1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Regulations for recruitment to the post of **Chemist** in the Delhi Water Board, Delhi are hereby published, namely:-

1. **Short title and commencement** - These Regulations may be called the Chemist in Delhi Jal Board Recruitment and promotion Regulation, 2016.
2. **Number of posts, Classification and scale of pay** - The number of posts, their classification and pay Band and Grade Pay/ scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications** -The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
4. **Disqualifications** - No person, –

    (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

    (b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

    shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any persons from the operation for this regulation.

5. **Power to Relax** - Where the Government of National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving** - Nothing in these Regulations shall affect reservations and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the Post	No. of Post	Classification	Pay Band & Grade Pay/Pay Scale	Whether selection or non-Selection post	Age limit for direct recruits.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Chemist	20 (2015) Subject to variation dependent on workload.	Category 'B'	Pay Band-2, Rs. 9300-34800 with Grade Pay of Rs. 4800/-	Selection	Not Applicable

Educational & other qualification required for direct recruits.	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment, or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
7.	8.	9.	10.
Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	By Promotion

In case of recruitment by promotion/ deputation/absorption, grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Commission exists, what is its Composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
11.	12.	13.
Promotion:- Assistant Chemist in PB-2 Rs. 9300-34800/- with Grade Pay of Rs. 4600/- with 2 years' regular service in the grade and have undergone one weeks training from Delhi jal Board Training Institute. **Note :-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service, or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along-with their juniors who have already completed such qualifying/eligibility service. **Note:** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1.1.2006, the date from which the revised pay structure based on the 6th CPC recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay/pay scale extended based on the recommendations of the pay commission.	Category 'B' Departmental Promotion Committee (for considering promotion): 1.Member(A) - Chairman 2.Director -Member (A&P) 3.Director Treatment & Quality Control -Member	Consultation with Union Public Service Commission not necessary.

By Order and in the Name of Government of National Capital Territory of Delhi
R.C. KESARWANI, Asstt. Director (Water)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054